

25.10 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पेंरोकार उपस्थित
 पक्षात नोट पेश हुआ शाहील पत्रावली
 किया गया। प्रकरण में राजीनामा देने से
 तनकीमत लगना नहीं पाया जाता है। वादी
 की ओर प्रत्यक्ष अपयश प्राप्त प्रकृत किया
 गया। शाहील पत्रावली किया गया लदस
 सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक
 7-10-19 को पेश है।

न्यायालय उपखण्ड अधिक
 पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव
 राजस्व वाद संख्या :- 221/201
 1 श्यामगवान पुत्र रामस्वरु
 जिला हनुमानगढ़।

- 1 रामस्वरुप पुत्र भागीरथ हनुमानगढ़।
- 2 सुमन रानी पुत्री भाग पदमपुर, जिला श्रीगंग
- 3 तहसीलदार (राजस्व) दावा अन्त

7-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पेंशी पर सुनी
 गई लदस पर अनुर किया गया पत्रावली का
 अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी
 मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर
 विरुद्ध निर्णय प्रकृत से लिखना जाकर डिब्बे
 जारी की गई निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
 जाकर शाहील पत्रावली किया गया। पत्रावली
 नम्बर से कत की जाकर बाद तकमील
 दामिबल इन्कर है।

1. श्री अनिल कुमार
2. श्री रामकुमार खटं
3. राज पेंरोकार

वादी द्वारा प्रति इस न्यायालय में प्रस्तु चक 7 एच.एम.एच. में 158/276 (25) किल एचम चक 7 एच.एम. नम्बर 23 ता 25, पर किला नम्बर 1 1 व वाद पत्र है।

वाद पत्र व जिसमें वादी का ने उक्त भूमि में कर दिया है जि है। वादी को उ भूमि प्राप्त है व प्रतीवादी फंडता है इसति पत्र की मद र प्रतिवादी संख वादी खातेदार का हो गए, यह उचित न्या से डिक्री

(कपिल यादव)
 सहायक कलक्टर
 उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़



10.10.19 वादी वकील द्वारा रिजिस्ट्रार 7-10-19 की
 पालना में डिक्री जारी करवाने हेतु स्टाम्प पेश किया
 जो शा.मि. पर डिक्री जारी कर गई। जो शा.मि.
 की गई

कलक्टर
 उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

